

06/05/24

पत्रावली पैरा 1. वकुलाय उप।

उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाते हैं। विधि द्वारा स्थापित विन्दुओं यथा उचित दृष्ट्या मामला बनना, सुविधा का स्थान, अप्रसंगिक कानून पर दस्तगु प्रकरण का परिधान करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि ग्राम दूधनी बाहरी क्षेत्र के खसरा नंबर 234, 235, 236 कुल खसरा 03 कुमले रकबा प्र.पा. हैक्टर के संबंध में दिनांक 21-10-2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को मूल काद के निर्णय तक पुष्कल किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार टैम्पर नंबर से उभ है।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली